**SHODH SAMAGAM**

**ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)**

# भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेद एवं उनके प्रति शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थियों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

**अंजना अग्रवाल**, पीएच–डी., शिक्षा विभाग
संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लालकोठी स्कीम, जयपुर, राजस्थान, भारत

**ORIGINAL ARTICLE**

**Author**
**अंजना अग्रवाल**, पीएच–डी.
**E-mail :** anjana.agarwal55@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 30/01/2025
Revised on : 31/03/2025
Accepted on : 09/04/2025
Overall Similarity : 02% on 01/04/2025

## शोध सार

*हमारे भारतीय संविधान में भी शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिसका उल्लेख संविधान में शैक्षिक अनुच्छेदों के रूप में किया गया है। इन शैक्षिक अनुच्छेदों की जानकारी प्रत्येक भारतीय नागरिक को होनी चाहिए, विशेष रूप से शिक्षकों को, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा का केन्द्र बिन्दु बालक है और उसकी शिक्षा के प्रति जिम्मेदारियों का परोक्षतः सर्वाधिक निर्वहन शिक्षक ही करते है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थियों का इन शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति जागरूक होना नितान्त आवश्यक है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के संदर्भ में हम ये कहे कि भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थियों की जागरूकता में अन्तर नहीं पाया जाता है। इसके लिए उपलब्ध मानदण्डों एवं सम्पादित शोध परिणामों आदि के द्वारा निष्कर्षो की स्थापना की जाती है।*

## मुख्य शब्द

*लोकतांत्रिक, संविधान, शैक्षिक अनुच्छेद, शिक्षक, विद्यार्थी.*

## सम्प्रत्यात्मक पष्ठभूमि

भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक राज्य में सत्ता व्यक्ति विशेष में केन्द्रित न होकर जनता के कुछ प्रतिनिधियों में केन्द्रित होती है। इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जनता में विवेक और ज्ञान का होना आवश्यक है। ज्ञान और विवेक प्राप्त करने के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है इसलिए लोकतंत्र में शिक्षा का बहुत महत्त्व है।

हर राष्ट्र के कुछ मूलभूत नियम होते है जिनसे उस राष्ट्र का स्वरूप तय होता है तथा अलग–अलग राष्ट्रों के बीच फर्क का पता चलता है। बड़े राष्ट्रों के एक

साथ रहने वाले कई अलग–अलग समुदाय ऐसे नियमों को आम सहमति के द्वारा तय करते है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पायी जाती है और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे लिखित नियम कहते है, उसे संविधान कहा जाता है। संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख होता है जिसके आधार पर किसी देश के नियम और विनियम बनाये जाते है। यह सरकार के मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप अपना संविधान बनाये। इस दिशा में हमारे भारत देश में संविधान सभा का गठन हुआ तथा इस संविधान सभा के 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन के अथक एवं निरन्तर परिश्रम के पश्चात् भारतीय संविधान का 26 नवम्बर 1949 को निर्माण हुआ। यह संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। इन अनुच्छेदों में शिक्षा से सम्बन्धित अनुच्छेद भी शामिल है।

शिक्षा एक व्यापक शब्द है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र तथा समाज की व्यापक उन्नति के लिए आवश्यक है। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है और उसे सामाजिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने योग्य बनाती है।

महात्मा गांधी के अनुसार, "शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।"

हमारे भारतीय संविधान मे भी शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिसका उल्लेख संविधान में शैक्षिक अनुच्छेदों के रूप में किया गया है। इन शैक्षिक अनुच्छेदों की जानकारी प्रत्येक भारतीय नागरिक को होनी चाहिए, विशेष रूप से शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षा का भार शिक्षकों पर ही होता है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थियों का इन शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति जागरूक होना नितान्त आवश्यक है।

## समस्या का औचित्य

भारतीय संविधान में शिक्षा के सम्बन्ध में किए गए शैक्षिक अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि संविधान के निर्माताओं ने सूझ–बूझ का परिचय देते हुए शिक्षा को जनसाधारण के कल्याण का साधन स्वीकार किया है तथा सभी को शिक्षा प्राप्ति के अधिकतम सम्भव अवसर प्रदान करने की भावना से शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को स्पष्ट रूप से इंगित किया है परन्तु इन शैक्षिक अनुच्छेदों के बावजूद संविधान में किए गए ये संकल्प अभी तक पूर्ण नहीं किए जा सके है। न तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है और न ही हिन्दी का मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में विकास हो सका है।

अतः सम्बन्धित विषय के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी की नहीं, यह संदेहास्पद स्थिति को जन्म देता है इसलिए शोधकर्ता के मन में यह विचार आया कि भारतीय संविधान में निहित शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थी कितनी जागरूकता रखते है। इस विषय पर अध्ययन करना चाहिए।

अतः इस समस्या का शोधकर्त्ता ने शोध विषय के अध्ययन के रूप में चयन किया है।

## समस्या कथन

"भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेद एवं उनके प्रति शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थियों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।"

## समस्या में प्रयुक्त शब्दावली का स्पष्टीकरण

- **संविधानः** संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है सम् + विधान। इसमें सम् का अर्थ होता है 'समान' एवं 'विधान' का अर्थ होता है 'नियम' अर्थात् संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते है।
- **शैक्षिक अनुच्छेदः** शैक्षिक अनुच्छेद से तात्पर्य है शिक्षा से सम्बन्धित लिखित नियम।

- **विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेद**
  - अनुच्छेद 21 (।)
  - अनुच्छेद 45
  - अनुच्छेद 51 (क)(ट)

  — निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
  - **अनुच्छेद 28:** धार्मिक शिक्षा का अधिकार।
  - **अनुच्छेद 29 व 30:** संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकार।
  - **अनुच्छेद 41:** कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
  - **अनुच्छेद 46:** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि।
  - **अनुच्छेद 350:** प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।
  - **अनुच्छेद 351:** हिन्दी की देवनागरी लिपि के विकास के सम्बन्धित है।
- **शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थी:** शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थी से तात्पर्य है—एस.टी.सी., बी.एड. एवं एम.एड. के अध्ययनरत् छात्र—छात्राऐं।
- **जागरूकता:** जागरूकता से तात्पर्य है किसी विषय के बारे में जानकारी होना।

## समस्या से उभरने वाले प्रश्न

- क्या निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थी जागरूक है?
- क्या धार्मिक शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थी जागरूक है?
- क्या अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा का अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थी जागरूक है?
- क्या मातृभाषा से सम्बन्धित शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थी जागरूक है?

## अध्ययन के उद्देश्य

### (अ) मुख्य उद्देश्य

भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेद एवं उनके प्रति शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन करना।

### (ब) गौण उद्देश्य

- भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति एम.एड. व बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- धार्मिक शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति एम.एड. व बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति एम.एड. व बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- मातृभाषा से सम्बन्धित शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति एम.एड. व बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

## परिकल्पना

$H_{01}$ भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

$H_{02}$ निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

$H_{03}$ धार्मिक शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

$H_{04}$ अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

$H_{05}$ मातृभाषा से सम्बन्धित शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

## जनसंख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के समस्त प्रशिक्षणार्थियों को जनसंख्या के रूप सम्मिलित किया जायेगा।

## न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जयपुर जिले के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत् 120बी.एड. व एम.एड. प्रशिक्षणार्थी यादृच्छिक विधि से लिए जायेंगे।

शोध अध्ययन का न्यादर्श

बी.एड. प्रशिक्षणार्थी (60) — एम.एड. प्रशिक्षणार्थी (60)

## न्यादर्श चयन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का चयन यादृच्छिक विधि से किया जाएगा।

## चर

शोध अध्ययन में निम्न चरों को शामिल किया गया हैं:

- **स्वतंत्र चरः** भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेद।
- **आश्रित चरः** शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थियों की शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति जागरूकता।

## शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि को अपनाया जाएगा।

## शोध के लिए उपकरण

शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली मापनी का प्रयोग किया जाऐगा।

## सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्न सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाएगाः

- मध्यमान।
- प्रमाणिक विचलन।
- 't' मूल्य।

## परिसीमन

प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र जयपुर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के बी.एड. एवं एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों तक ही सीमित रखा जाएगा।

## परिकल्पनाओं का सत्यापन, विश्लेषण एवं व्याख्या

### परिकल्पना 1

भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

**सारणी संख्या 1:** भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता से सम्बन्धित 't' मूल्य की सारणी

| क्र.सं. | समूह | न्यादर्श | मध्यमान | प्रमाणिक विचलन | 't' मूल्य | सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बी.एड. प्रशिक्षणार्थी | 60 | 194.3 | 14.23 | 1.42 | किसी भी स्तर पर |
| 2. | एम.एड. प्रशिक्षणार्थी | 60 | 196.3 | 15.67 | | सार्थक नहीं |

(df = 60+60–2 = 118) 't' मूल्य 0.05 स्तर पर = 1.97, 0.01 स्तर पर = 2.59

### व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी संख्या 1 में भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमानों के बीच 't' का मूल्य प्रदर्शित किया गया है। 't' का प्राप्त मान 1.42 है। 't' की सारणी में df 118 पर 't' का मान 0.05 स्तर पर 1.97 तथा 0.01 स्तर पर 2.59 है। गणना किया गया मान 1.42 सारणी के मान से दोनों स्तर पर कम है अर्थात् प्राप्त मान किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः पूर्व निर्मित परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

इसका अभिप्राय है कि बी.एड. और एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता लगभग बराबर है।

### परिकल्पना 2

'निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

**सारणी संख्या 2:** निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता से सम्बन्धित 't' मूल्य की सारणी

| क्र.सं. | समूह | न्यादर्श | मध्यमान | प्रमाणिक विचलन | 't' मूल्य | सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बी.एड. प्रशिक्षणार्थी | 60 | 57.1 | 10.23 | 0.641 | किसी भी स्तर |
| 2. | एम.एड. प्रशिक्षणार्थी | 60 | 55.4 | 8.47 | | पर सार्थक नहीं |

(df = 60+60–2 = 118) 't' मूल्य 0.05 स्तर पर = 1.97, 0.01 स्तर पर = 2.59

### व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी संख्या 2 में 'निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमानों के बीच 't' का मूल्य प्रदर्शित किया गया है। 't' का प्राप्त मान 0.641 है। 't' की सारणी में df 118 पर 't' का मान 0.05 स्तर पर 1.97 तथा 0.01 स्तर पर 2.59 है। गणना किया गया मान 0.641 सारणी के मान से दोनों स्तर पर कम है अर्थात् प्राप्त मान किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः पूर्व निर्मित परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

इसका अभिप्राय है कि बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों की जागरूकता लगभग बराबर है।

**परिकल्पना 3**

'धार्मिक शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।'

**सारणी संख्या 3:** धार्मिक शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता से सम्बन्धित 't' मूल्य की सारणी

| क्र.सं. | समूह | न्यादर्श | मध्यमान | प्रमाणिक विचलन | 't' मूल्य | सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बी.एड. प्रशिक्षणार्थी | 60 | 24.2 | 5.67 | 0.363 | किसी भी स्तर |
| 2. | एम.एड. प्रशिक्षणार्थी | 60 | 23.15 | 4.12 | | पर सार्थक नहीं |

(df = 60+60–2 = 118) 't' मूल्य 0.05 स्तर पर = 1.97, 0.01 स्तर पर = 2.59

## व्याख्या एवं विश्लेषण

उपरोक्त सारणी संख्या 3 में धार्मिक शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमानों के बीच 't' का मूल्य प्रदर्शित किया गया है। 't' का प्राप्त मान 0.363 है। 't' की सारणी में df 118 पर 'ज' का मान 0.05 स्तर पर 1.97 तथा 0.01 स्तर पर 2.59 है। गणना किया गया मान 0.363 सारणी के मान से दोनों स्तर पर कम है अर्थात् प्राप्त मान किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः पूर्व निर्मित परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

इसका अभिप्राय है कि धार्मिक शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों की जागरूकता लगभग बराबर है।

**परिकल्पना 4**

'अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।'

सारणी संख्या 4: अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम. एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता से सम्बन्धित 't' मूल्य की सारणी

| क्र.सं. | समूह | न्यादर्श | मध्यमान | प्रमाणिक विचलन | 't' मूल्य | सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बी.एड. प्रशिक्षणार्थी | 60 | 56.35 | 9.78 | 0.647 | किसी भी स्तर |
| 2. | एम.एड. प्रशिक्षणार्थी | 60 | 53.65 | 6.37 | | पर सार्थक नहीं |

(df = 60+60–2 = 118) 't' मूल्य 0.05 स्तर पर = 1.97, 0.01 स्तर पर = 2.59

**व्याख्या एवं विश्लेषण**

उपरोक्त सारणी संख्या 4में अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी. एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमानों के बीच 't' का मूल्य प्रदर्शित किया गया है। 't' का प्राप्त मान 0.647 है। 't' की सारणी में df 118 पर 'ज' का मान 0.05 स्तर पर 1.97 तथा 0.01 स्तर पर 2.59 है। गणना किया गया मान 0.647 सारणी के मान से दोनों स्तर पर कम है अर्थात् प्राप्त मान किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः पूर्व निर्मित परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

इसका अभिप्राय है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों की जागरूकता लगभग बराबर है।

**परिकल्पना 5**

मातृभाषा से सम्बन्धित शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

**सारणी संख्या 5:** मातृभाषा से सम्बन्धित शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता से सम्बन्धित 't' मूल्य की सारणी

| क्र.सं. | समूह | न्यादर्श | मध्यमान | प्रमाणिक विचलन | 't' मूल्य | सार्थकता स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बी.एड. प्रशिक्षणार्थी | 60 | 57.45 | 10.87 | 0.387 | किसी भी स्तर |
| 2. | एम.एड. प्रशिक्षणार्थी | 60 | 55.65 | 8.94 | | पर सार्थक नहीं |

(df = 60+60–2 = 118) 't' मूल्य 0.05 स्तर पर = 1.97, 0.01 स्तर पर = 2.59

**व्याख्या एवं विश्लेषण**

उपरोक्त सारणी संख्या 5 में 'मातृभाषा से सम्बन्धित शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमानों के बीच 't' का मूल्य प्रदर्शित किया गया है। 't' का प्राप्त मान 0.387 है। 'ज' की सारणी में df 118 पर 't' का मान 0.05 स्तर पर 1.97 तथा 0.01 स्तर पर 2.59 है। गणना किया गया मान 0.387 सारणी के मान से दोनों स्तर पर कम है अर्थात् प्राप्त मान किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः पूर्व निर्मित परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

इसका अभिप्राय है कि 'मातृभाषा से सम्बन्धित शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों की जागरूकता लगभग बराबर है।

## निष्कर्ष

- बी.एड. एवं एम.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमानों का 'ज' मूल्य (1.42) यह दर्शाता है कि दोनों समूह भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति लगभग समान जागरूकता रखते है।
- बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों के जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमानों का 'ज' मूल्य (0.641) यह दर्शाता है कि दोनों समूह निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति लगभग समान जागरूकता रखते है।
- बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों के जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमानों का 'ज' मूल्य (0.363) यह दर्शाता है कि दोनों समूह धार्मिक शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति लगभग समान जागरूकता रखते है।
- बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों के जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमानों का 'ज' मूल्य (0.647) यह दर्शाता है कि दोनों समूह अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा के अधिकार के शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति लगभग समान जागरूकता रखते है।
- बी.एड. एवं एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों के जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमानों का 'ज' मूल्य (0.387) यह दर्शाता है कि दोनों समूह मातृभाषा से सम्बन्धित शैक्षिक अनुच्छेद के प्रति लगभग समान जागरूकता रखते है।

## शोध कार्य का शैक्षिक निहितार्थ

किसी भी शोधकार्य की उपादेयता तब तक नहीं है जब तक कि उसका कोई लाभ न हो। प्रत्येक शोध कार्य शोध बिन्दु से सम्बन्धित आने वाली कठिनाइयों, उसके सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव, कमियों को दूर करने हेतु सुझाव लिए होता है। तथा जब वह शोध कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हो तो यह निःसंदेह है कि उसमें शिक्षा के प्रसार, सुधार के प्रति जिम्मेदारियाँ हो।

अतः प्रस्तुत शोध कार्य की उपयोगिता निम्न प्रकार महत्त्वपूर्ण है:

- भारतीय संविधान में निहित विभिन्न शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के दृष्टिकोण का पता लगाया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति रूचि बढ़ेगी।

- प्रस्तुत शोध अध्ययन से शैक्षिक अनुच्छेदों की महत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन से शिक्षक प्रशिक्षणार्थी अपने विद्यार्थियों को शैक्षिक अनुच्छेदों के अध्ययन के प्रति उत्साहित एवं अभिप्रेरित कर सकेंगे।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्षो से शिक्षक प्रशिक्षणार्थी शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति और अधिक जागरूक हो सकेगे।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में सकारात्मक सोच, सृजनात्मक व नैतिकता की भावना आदि उत्पन्न हो सकेगी।

## भावी शोध हेतु सुझाव

- प्रस्तुत शोध कार्य में 120 न्यादर्श को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में इसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
- वर्तमान शोध कार्य जयपुर जिले के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तक सीमित रखा गया है। भविष्य में राजस्थान के अन्य जिलों के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को भी सम्मिलित करके शोध कार्य को गहन बनाया जा सकता है।
- विभिन्न जातियों, जैसे–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय व सामान्य वर्ग के न्यादर्श के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- एस.टी.सी. प्रशिक्षणार्थियों का न्यादर्श लेकर भी अध्ययन किया जा सकता है।
- सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के मध्य जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- शहरी व ग्रामीण उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- सरकारी व गैर सरकारी शिक्षकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- शोध कार्य हेतु महिला एवं पुरूष अभिभावकों की शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यायलय के प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक अनुच्छेदों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

## संदर्भ सूची

1. अस्थाना, विपिन; अस्थाना, श्वेता (2005) *मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन,* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 14वाँ संशोधित संस्करण।
2. ऐनेस्टॉसी (1959) *साईकोलॉजी टेस्टिंग,* मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयॉर्क।
3. भाटिया, सी.एम. (1955) *परफोरमेन्स इन्टेली जेन्सी टेस्ट बैटरी,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बॉम्बे।
4. बसु, दुर्गा दास (2004) *भारत का संविधान –एक परिचय,* वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, नवाँ संस्करण।
5. वर्ब, डब्ल्यू आर. (1978) *एज्यूकेशन रिसर्च एण्ड इंट्रोडक्शन,* मैकग्रोहिल बुक कम्पनी, न्यूयॉर्क।
6. भटनागर आर.पी.; भटनागर, मीनाक्षी (2005) *शिक्षा अनुसंधान,* लॉयन बुक डिपो, मेरठ, द्वितीय संस्करण।
7. चेस्टर, डब्ल्यू हैरिस (1960) ए*नसाईक्लोपीडिया ऑफ एज्यूकेशन रिसर्च,* मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयॉर्क।
8. चार्टर, वी. गुड (1973) *डिक्शनरी ऑफ एज्यूकेशन,* मैकग्राहिल कम्पनी, न्यूयॉर्क।

9. फेयोल, हेनरी (1999) *जनरल एण्ड इण्डस्ट्रियल मैनेजमेन्ट,* सर पिट्समैन एण्ड सन्स, लन्दन।
10. गुड, विलियम; जे हैट पाल के (1956) *मैथड्स इन सोशल रिसर्च,* मैकग्राहिल कम्पनी, न्यूयॉर्क।
11. गुड, बार; एण्ड स्केट्स (1978) *एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर ऑफ एज्यूकेशन रिसर्च,* एप्लेट्स सेंच्यूरी कम्पनी, न्यूयॉर्क।
12. गुप्ता, एस.पी.; गुप्ता अलका (2013) *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याऐं,* शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, संशोधित संस्करण।
13. ग्रेग, रसेल टी (1957) *एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर इन एज्यूकेशन,* हापर एण्ड ब्रदर, न्यूयॉर्क।
13. गुड, सी.वी. (1963) *इन्ट्रोडक्शन टू एजूकेशन रिसर्च,* एप्लेट्स सेंन्चूरी कम्पनी, न्यूयॉर्क।
14. गिलफोर्ड, जे.पी. (1964) *साइकोमेट्रिक मैथड्स,* टाटा पब्लिशिंग कम्पनी, न्यू देहली।
15. प्रकाश, विजय; श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार (2009) *अभिवंचितो का शिक्षा का अधिकार,* राजकमल, दरियागंज, दिल्ली।
16. सिंघवी, पी.वी. (2009) The Right of Childern of free and Compulsary Education Act, 2009.
17. कपिल एच.के (2008) *सांख्यिकी के मूल तत्व,* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, आठवाँ संस्करण।
18. करलिंगर (1964) *फाउण्डेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च,* हाल्टराइन हार्ट एण्ड विन्सटन, न्यूयॉर्क।
19. कोकरन, विलियम जी (1969) *सेम्पलिंग टैक्निक्स,* बोम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस, एशियन स्टूडेन्ट, एडिसन।
20. बाफना, राजेन्द्र (2012) *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून,* बाफना पब्लिशिंग हाउस, चौडा रास्ता, जयपुर।
21. वर्मा, मनिराम (2012) शिक्षा का अधिकार नियम–2009 की प्रासंगिकता, नई दिल्ली, 30 अगस्त 2012।
22. डब्ल्यू आर. वर्ब (1978) *एज्यूकेशन रिसर्च एण्ड इंट्रोडक्शन,* मैकग्रोहिल बुक कम्पनी, न्यूयॉर्क।

********